



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक: 1179 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-3

दिनांक: 15.07.2024

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन आदेश संख्या 1328/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 30.07.2016 द्वारा पदोन्नति/वित्तीय स्तरान्धन (ए०सी०पी०) स्वीकृत होने पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

संज्ञान में आया है कि विकल्प की प्रक्रिया की समुचित जानकारी न होने के कारण पदोन्नति/वित्तीय स्तरान्धन (ए०सी०पी०) प्राप्त कार्मिक का वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण इकाई द्वारा निर्धारित विकल्प पत्र के अभाव में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने/वित्तीय स्तरान्धन की अनुमन्यता तिथि से ही कर दिया जाता है, जिससे कतिपय कार्मिकों को वेतन में आर्थिक हानि हो रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 105274/XXVIII(7)/E-42831/2022 दिनांक 10.03.2023 में पुनः विकल्प की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति के अनुक्रम में तीनों ऊर्जा निगमों की गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति पर तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की आहूत संयुक्त बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त बनी सहमति के क्रम में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प के प्रयोग/पुनः प्रयोग का एक और अवसर प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कारपोरेशन आदेश संख्या 1328/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 30.07.2016 में निहित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1179 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-3 तद् दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डॉ०ए०ओ०-निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना) पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०-प्रथम), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. कट फाइल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०) (औ०)